जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

41/16

AB

**मुन्तकिली प्रकरण सं0 41/2016 अनवानी जगमाल पुत्र ईशर राम जाति मेघवाल निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ बनाम 1–आवंटन अधिकारी सूरतगढ 2–लालचंद पुत्र नथूराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तह0 सूरतगढ 3–ताराचंद पुत्र नथूराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी हरदासवाली तह0 सूरतगढ**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**26.09.2016**

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थीगण लालचंद व ताराचंद के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित बालिग पुत्र प्रकरण संख्या 21/2016 अनवानी लालचंद–ताराचंद बनाम सरकार में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित बालिग पुत्र प्रकरण संख्या 21/2016 अनवानी लालचंद–ताराचंद बनाम सरकार में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1693
28-9-16

आदेश आज दिनांक 26.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर